

Checked
[Signature]

PROPOSED
ASIA PACIFIC RESIDENCY (LAY OUT PLAN)
FOR
ASIA PACIFIC CONSTRUCTION PVT. LTD.
AT
KHASRA NO.- 576 & 577, VILLAGE- SARSAWAN
PARGANA, TEHSIL & DIST. - LUCKNOW

LAND AREA DETAIL

S.NO.	VILLAGE	PLOT NO.	KHASRA NO.	AREA
1-	SARSAWAN,		576 & 577	7234.07 M ²
2-	SARSAWAN,	02	576	415.10 M ²
3-	SARSAWAN,	06	577	173.25 M ²
4-	SARSAWAN,	11	577	145.86 M ²
5-	SARSAWAN,	12	577	291.72 M ²
TOTAL LAND AREA				8260.00 M ²

AREA STATEMENT

1- LAND AREA	= 8260.00 M ²
2- AREA UNDER ROAD WIDENING	= 576.64 M ²
3- NET LAND AREA	= 7683.36 M ²
4- GREEN AREA REQUIRED(15.00%)	= 1152.45 M ²
5- PLOTTED AREA (54.22%)	= 4166.49 M ²
6- SHOPS AREA (0.39%)	= 30.00 M ²
7- GREEN AREA PROVIDED (15%)	= 1152.45 M ²
8- ROAD AREA (30.48%)	= 2334.42 M ²

PLOTTED AREA DETAIL

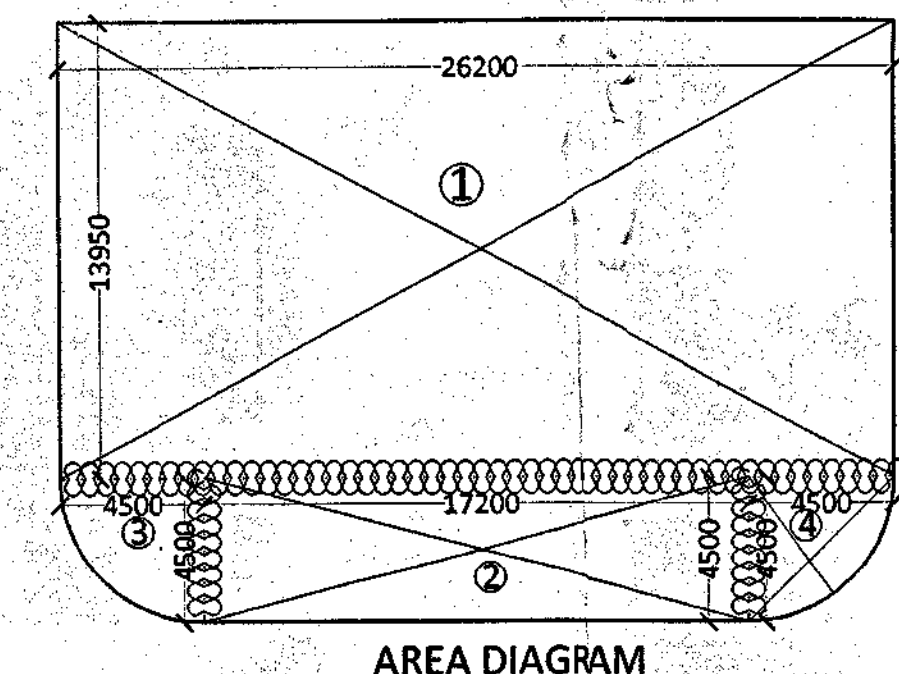
S.NO.	PLOT NO.	SIZE IN METRE	AREA	UNIT
1-	01	(13.10+10.15)/2 x 6.90	79.63 SQM	1
2-	02	(10.15+13.19)/2 x 6.90	76.73 SQM	1
3-	03	(13.19+13.245)/2 x 6.90	91.22 SQM	1
4-	04	(13.245+13.294)/2 x 6.90	91.56 SQM	1
5-	05	(13.294+13.343)/2 x 6.90	91.90 SQM	1
6-	06	(13.343+13.391)/2 x 6.90	92.23 SQM	1
7-	07	(13.391+13.44)/2 x 6.90	92.56 SQM	1
8-	08	(13.44+13.488)/2 x 6.90	92.90 SQM	1
9-	09	(13.488+13.537)/2 x 6.90	93.23 SQM	1
10-	10	(13.537+13.585)/2 x 6.90	93.57 SQM	1
11-	11	(13.585+13.612)/2 x 6.90	93.82 SQM	1
12-	12	(13.612+13.39)/2 x 6.90	93.15 SQM	1
13-	13	(13.39+13.445)/2 x 6.90	92.58 SQM	1
14-	14	(13.445+13.36)/2 x 6.90	92.47 SQM	1
15-	15	(13.36+13.275)/2 x 6.90	91.89 SQM	1
16-	16	(13.275+13.195)/2 x 6.90	91.32 SQM	1
17-	17	(13.195+13.14)/2 x (5.16+4.82)/2	65.70 SQM	1
18-	18	(13.20+13.10)/2 x (7.14+7.49)/2	96.19 SQM	1
19-	19-28	13.10 x 6.90	90.39 SQM	10
20-	29-30	13.10 x 6.90	75.97 SQM	2
21-	31-42	13.10 x (7.49+7.835)/2	100.37 SQM	12
21-	43	13.10 x (7.49+7.835)/2	100.37 SQM	1
22-	44-48	11.70 x 6.9	81.73 SQM	5
TOTAL			4172.49 M ²	48

IT IS TO CERTIFY THAT THIS PROPOSED PLAN IS PREPARED AS PER MASTER PLAN 2021

NORTH [Compass Rose]	DRAWN BY
SCALE AS SHOWN	DATE JULY, 2015

SUBMISSION DRAWING

OWNER
ASIA-PACIFIC CONSTRUCTION PVT. LTD.
[Signature]
ARCHITECT
SANJEEV KUMAR SINGH
ARCHITECT No. 5134/122



GREEN AREA-1 DETAIL

S.NO.	AREA STATEMENT	
1-	26.20 X 13.95	365.49
2-	17.20 X 4.50	77.4
3-	3.14 x (4.5 x 4.5)	15.89
4-	3.14 x (4.5 x 4.5)	15.89
TOTAL		= 474.67 SQ.M.

प्राधिकरण के पक्ष में
अन्यक भूखण्ड

S.NO.	AREA STATEMENT	
1-	5.08 X 12.65	32.13
2-	5.08 X 12.3	62.94
3-	2.91 X 12.39	18.02
4-	1.35 X 5.77	3.89
5-	7.99 X 31.4	252.80
6-	1.35 X 7.8	10.57
7-	1.73 X 3.7	6.41
8-	4.65 X 5.2	24.50
9-	1.73 X 4.12	3.56
10-	1.56 X 3.71	2.89
11-	2.22 X 5.27	5.84
12-	2.43 X 5.77	7.01
13-	6.87 X 5.77	39.63
14-	8.72 X 8.00	69.76
15-	3.49 X 4.50	15.70
16-	0.58 X 8.01	2.32
17-	3.14 x (4.5 x 4.5)	15.89
TOTAL		= 573.86 SQ.M.

S.NO.	AREA STATEMENT	
1-	1.61 X 35.25	56.75
2-	2.60 X 34.41	45.50
TOTAL		= 102.25

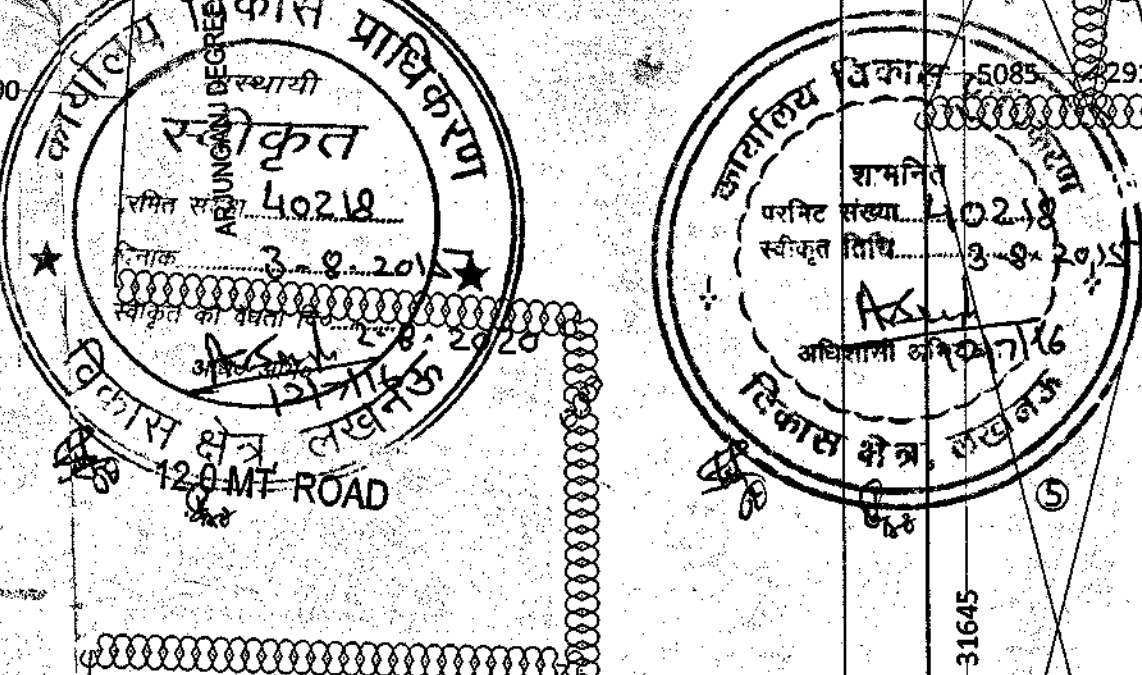
KEY PLAN

(NOT TO SCALE)

- प्रतिबन्ध :-
- दिये गये शपथ-पत्र के क्रम में स्थल पर स्वीकृत ले-आउट के अनुसार विकास कार्य करने के साथ-साथ समस्त अवस्थापना सुविधाएं एसोटीओपीओ सहित विकास/निर्माण सुनिश्चित कर नगर निगम/स्थानीय निकाय को हस्तांतरित किये जाने तक योजना का रख-रखाव की जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
 - दिये गए शपथ-पत्र के क्रम में नवन निर्माण में नेशनल सेप्रेट काउंसिल तथा लेबर एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत समस्त सुखा प्रबन्धों को सुनिश्चित करना होगा।
 - दिये गए शपथ-पत्र के क्रम में रेनवाटर हार्डस्टिंग सिस्टम व शुशरोपण, लैण्ड स्केपिंग का विकास का प्रबन्ध सुनिश्चित करना होगा।
 - दिये गये शपथ-पत्र के क्रम में नेशनल बिडिंग कोड के प्रावधानों के अन्तर्गत बांधगत सुखा व्यवस्था तथा विकलांग दृष्टि बाधित व अशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन का प्रबन्ध सुनिश्चित करना होगा।
 - पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा, अन्यथा की दशा में तत्पट मानचित्र निरस्त समझा जायेगा।
 - स्वीकृत तलपट मानचित्र के प्रत्येक भूखण्डों का भवन मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत कराकर निर्माण करना होगा।
 - तलपट मानचित्र में आन्तरिक विकास के साक्ष्य प्राधिकरण में बंधक हेतु रखे गए भूखण्ड संख्या-39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 व 48 की त्रिकी प्राधिकरण की अनुमति के परचात् की जायेगी।
 - प्राधिकरण एवं विकासकर्ता के मध्य भूखण्डों के बंधक रखे जाने हेतु किये गये अनुबन्ध में अंकित शर्तों का पालन करना होगा।
 - उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रदान की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

नवन मानचित्र उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत नगर प्रशासन को स्वीकृत किया जाता है की विकास प्राधिकरण भूमि विधेयक सत्यापित के दिने विहित बांधकूती है।

नवन मानचित्र उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत नगर प्रशासन को स्वीकृत किया जाता है की विकास प्राधिकरण भूमि विधेयक सत्यापित के दिने विहित बांधकूती है।



SITE LAY OUT PLAN

LEGEND

- 1 - ELECTRICAL LINE
- 2 - ELECTRICAL POLE
- 3 - WATER SUPPLY LINE
- 4 - SEWER LINE
- 5 - MAN HOLE
- 6 - RAIN WATER HARVESTING
- 7 - TREE

